(वाद सं0–1882/4/16/2019)

06.06.2022

श्री राजेश्वरी पाण्डेय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई उपस्थित हैं।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, दिनांक–17.04.2014 को कटिहार जिलान्तर्गत हारनारोई पंचायत (प्रखण्ड–बारसोई) हेतु गठित ग्राम रक्षा दल के सदस्य के मानदेय निर्धारण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों के मानदेय भुगतान से संबंधित परिवादी, नजीरूद्दीन के परिवाद से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदनानुसार ‘‘परिवादी के परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच प्रतिवेदन की मांग प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारसोई के आदेश ज्ञापांक 255, दिनांक–25.03.2022 के द्वारा माननीय मुखिया एवं पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, हारनोई से की गई। माननीय मुखिया एवं पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, हारनोई द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक–17.09.2014 को ग्राम पंचायत हारनोई में ग्राम रक्षा दल गठन संबंधी पंजी की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम रक्षा दल स्वयं सेवक निःस्वार्थ भाव से गाँव/समाज का सेवा करेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र एकरारनामा एवं कार्यादेश नहीं दिया गया है। परिवादी द्वारा लिखित रूप से सूचित किया गया कि थानाध्यक्ष, आबादपुर के द्वारा यह कह कर कार्य कराया गया कि आपलोग ग्राम रक्षा दल को सरकार द्वारा किसी प्रकार का लाभ मिलेगा तो आपलोगों को दिया जायेगा, सरकार द्वारा कुछ भी नहीं देने पर आपलोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में इनका भुगतान किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। उक्त के आलोक में दिनांक–25.

03.2022 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारसोई द्वारा परिवादी से साक्ष्य की मांग की गयी तो साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा परिचय पत्र एवं लिखित बयान दिया गया, जिसमें यह अंकित किया गया कि ग्राम रक्षा दल के कार्य को निःस्वार्थ भाव से किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन पर सहमति अंकित करते हुए अनुलग्नक सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।''

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा प्रसंगाधीन मामले से संबंधित संचिका उपस्थापित की गयी जिसमें दिनांक–17.09.2014 को पंचायत समिति हरनारोई पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति राज्य आयोग को दिखाई गयी, जिसके अनुसार रक्षा दल स्वयंसेवक द्वारा निःस्वार्थ भाव से गाँव/समाज की सेवा करने का प्रस्ताव दिया गया था।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामले में ग्राम रक्षा दल द्वारा निःस्वार्थ भाव से सेवा की गयी है तो ऐसी परिस्थिति में बाद में उनके द्वारा किये गये कार्यों के बदले मानदेय के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है ?

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदन के आलोक में इसे राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदन (पृ0–80–46/प0) की प्रति संलग्न तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>